लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2242

उत्तर देने की तारीखः 31.07.2018

सिर पर मैला ढोना

+ **2242. श्री पंकज चौधीः**
प्रो केवी. थॉमसः
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रनः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि देश में सिर पर मैला ढोने की अमानवीय प्रथा अब भी जारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है या कोई रिपोर्ट प्राप्त की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में सिर पर मैला ढोने वालों की संख्या में चार गुना वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा सिर पर मैला ढोने वालों के उत्थान और इस अमानवीय प्रथा को जड़ से मिटाने के लिए कोई प्रभावी उपाय करने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ग): जी, हां। सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि देश में सिर पर मैला ढोने की अमानवीय प्रथा अब भी जारी है। "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" (एमएस-अधिनियम, 2013) में मैनुअल स्केवेंजरों के सर्वेक्षण का अधिदेश दिया गया है यदि किसी नगरपालिका एवं पंचायत को यह विश्वास करने का कारण है कि उनके क्षेत्राधिकार में कुछ व्यक्ति मैनुअल स्केवेंजिंग के कार्य में लगे हुए हैं। उक्त अधिनियम 06.12.2013 से प्रभावी हुआ है। दिनांक 30.06.2018 तक 13 राज्यों ने 13,657 मैनुअल स्केवेंजरों की पहचान की है। राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में है। इसके अतिरिक्त, उन सभी व्यक्तियों की पहचान करने के लिए 18 राज्यों के 170 जिलों में मैनुअल स्केवेंजरों के संबंध में राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया गया है जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित होने से पूर्व अस्वच्छ शौचालयों की सफाई कर रहे थे। सर्वेक्षण में उन व्यक्तियों की भी पहचान की गई है जो कुछ स्थानों पर अभी तक मैनुअल स्केवेंजरों के रूप में कार्य कर रहे हैं, 170 अभिज्ञात जिलों में से 155 में सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में तय अवधि के अनुसार सर्वेक्षण नहीं किया जा

सका। इस सर्वेक्षण के आधार पर, दिनांक 23.07.2018 तक 14,678 मैनुअल स्केवेंजरों की पहचान की गई है।

(घ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ड.): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय केन्द्रीय क्षेत्र की योजना, 'मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस) का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके अंतर्गत अभिज्ञात मैनुअल स्केवेंजरों तथा उनके आश्रितों को निम्नलिखित पुनर्वास लाभ प्रदान किए गए हैं :

(i) 40,000 रुपए की एकबारगी नकद सहायता।
(ii) रियायती ब्याज दर पर 15.00 लाख रुपए तक का ऋण।
(iii) 3,25,000 रुपए तक क्रेडिट लिंक्ड बैक-एण्ड पूंजीगत सब्सिडी।
(iv) 3,000 रुपए प्रति माह के वजीफे के साथ दो वर्ष तक कौशल विकास प्रशिक्षण।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय "सफाई और स्वास्थ्य के लिए घातक व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना" नामक एक योजना का भी कार्यान्वयन कर रहा है। मैनुअल स्केवेंजरों के बच्चे भी इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं।

अनुबंध-I

'सिर पर मैला ढोना' के बारे में पूछे गए दिनांक 31.07.2018 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2242 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-I

30.06.2018 तक अभिज्ञात मैनुअल स्केवेंजरों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मैनुअल स्केवेंजरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	78
2	असम	154
3	बिहार	137
4	छत्तीसगढ़	3
5	कर्नाटक	732
6	मध्य प्रदेश	36
7	ओडिशा	237
8	पंजाब	91
9	राजस्थान	338
10	तमिलनाडु	363
11	उत्तर प्रदेश	11247
12	उत्तराखंड	137
13	पश्चिम बंगाल	104
	कुल	**13657**

******